

मनोरंजन कर अधिकारी माधापुर मंडल हैदराबाद

बनाम

मैसर्स हाई टेक थियेटर माधापुर हैदराबाद

24 सितंबर 2007

(एस-बी- सिन्हा एवं एच-एस-बेदी, न्यायाधिपतिगण)

आंध्र प्रदेश मनोरंजन कर अधिनियम 1939

धारा 5- नगर पालिका के उन्नयन पर निर्भर सिनेमा मालिक द्वारा देय कर- नगर पालिका का उन्नयन - मूल्यांकन अधिकारी उन्नयन से अनभिज्ञ- देय कर की गणना में गलती - अवधारित: गलती को सुधारा जा सकता है अंतर की मात्रा का प्रश्न निर्धारिती को सुनवाई का अवसर देने के बाद उचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जा सकता है - हालाँकि निर्धारिती उक्त राशि पर कोई जुर्माना और ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

प्रतिवादी सिनेमा थिएटर का मालिक मनोरंजन कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी था। आंध्र प्रदेश मनोरंजन कर अधिनियम की धारा 5 के विकल्प के आधार पर कर की गणना के लिए प्रावधान किया गया है इसके लिए मनोरंजन कर निर्धारित किया जा सकता है। इस तरह के विकल्प के

प्रयोग के लिए योजना यह है कि (i) एक मालिक को निर्धारित प्राधिकारी के समक्ष निर्धारित प्रपत्र में एक आवेदन दायर करना होगा; (ii) प्राधिकारी राशि के सही निर्धारण के लिए थिएटर मालिक और प्रतिभूति की प्रकृति जो स्वामी द्वारा उचित रूप से प्रदान की जानी है कर का भुगतान और वह समय जिसके भीतर ऐसी प्रतिभूति प्रदान की जानी है सुनवाई का अवसर देकर आदेश पारित करेंगे। (iii) एक बार ऐसी प्रतिभूति प्रदान किए जाने के बाद मनोरंजन कर अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र में अनुमति देने की आवश्यकता होती है अर्थात् फॉर्म IV के बाद उमसें दर्शाये तरीके से सिनेमा थिएटर के मालिक को कर का भुगतान करना होता है।

विचाराधीन सिनेमा थिएटर सेरिलिंगमपल्ली नगर पालिका के भीतर स्थित है। अधिसूचना दिनांक 18-05-2001 के अनुसार नगर पालिका को ग्रेड III से ग्रेड II में अपग्रेड किया गया था। प्रतिवादी ने 18-05-2001 से पहले योजना के संदर्भ में आवेदन दायर किया।

प्रतिवादी को 25-05-2001 को फॉर्म IV जारी किया गया था।

प्रतिवादी द्वारा अपनाए गए विकल्प के संदर्भ में कर कार्यवाही के मूल्यांकन के दौरान मनोरंजन कर अधिकारी को उक्त अधिसूचना दिनांक 18-05-2001 के संदर्भ में नगर पालिका के उन्नयन के तथ्य की जानकारी नहीं थी। महालेखाकार कार्यालय द्वारा ही गलती बताई गई थी इसलिए

अधिनियम की धारा 5(6) के संदर्भ में प्रतिवादी को 24-06-2005 को या उसके आसपास एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या धारा 5(6) के अनुसार कर की मात्रा में परिवर्तन का आदेश केवल उस अवधि के दौरान पारित किया जा सकता है जिसके लिए कर का भुगतान किया जाना हैA

न्यायालय द्वारा अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अवधारित किया गया:

1- वास्तव में मूल्यांकन करने वाले प्राधिकारी का ध्यान दिनांक 18-05-2001 की अधिसूचना की ओर आकर्षित नहीं हुआ होगा जिसके संदर्भ में नगर पालिका को ग्रेड III से ग्रेड II में अपग्रेड किया गया था कर गणना के मामले में एक गलती हुई थी, यदि उक्त मामले में न केवल मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा कोई वास्तविक गलती की गई है और इसके अलावा प्रतिवादी ने भी उक्त प्राधिकारी के ध्यान में इसे नहीं लाया है उक्त प्राधिकारी ने कहा कि कि उक्त गलती को सुधारने की अनुमति दी जाती है तो न्याय का हित कम होगा। (पैरा 10) (609-सी-डी)

2- अंतर की मात्रा के संबंध में प्रश्न प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर देने के बाद एक उचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

प्रतिवादी न तो उक्त राशि पर कोई ब्याज देने के लिए उत्तरदायी होगा और न ही किसी दंड के लिए उत्तरदायी होगा। पैरा 14)) (611- बी जेड)

स्वामी थिएटर सनतनगर बनाम उप वाणिज्यिक कर अधिकारी सनतनगर हैदराबाद (1992) खण्ड 15 ए-पी- सेल्स टैक्स जर्नल 63 भारत संघ वगैरह बनाम बिकास कुमार (2006) 10 स्केल 86 एवं श्री शेखर घोष बनाम भारत संघ एवं अन्य (2006) 11 स्केल 363 संदर्भित किया गया।

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 4491/2007

आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद के आदेश दिनांक 06-01-2006 और अंतिम आदेश अन्तर्गत रिट याचिका संख्या 20087/2005

अपीलार्थी के लिए आर- सुन्दरवर्धन मनोज सक्सैना राहुल शुक्ला और टी-वी-जार्ज।

उत्तरदाता के लिए एन- अन्नपूर्णी।

न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया-

एस-बी सिन्हा न्यायमूर्ति

विलम्ब क्षम्य किया गया। अनुमति प्रदान की गई।

(1) आन्ध्र प्रदेश मनोरंजन कर अधिनियम 1939 की धारा 5 की उपधारा 6 की व्याख्या तथ्यों और परिस्थितियों में इस अपील में हमारे

विचार के लिए आती है जो आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा रिट याचिका संख्या 20087/2005 के साथ प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 06-01-2006 से उत्पन्न होती है।

(2) मामले के मूल तथ्य विवाद में नहीं है।

(3) प्रतिवादी एक सिनेमा थिएटर का मालिक है। यह मनोरंजन कर के भुगतान के लिए पात्र है। आन्ध्र प्रदेश मनोरंजन कर अधिनियम की धारा 4 देय कर की मात्रा की गणना के लिए तरीका प्रदान करती है। हालांकि उक्त अधिनियम की धारा 5 में थिएटर के मालिक द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन विकल्प के आधार पर कर की गणना का प्रावधान है। निर्विवाद रूप से राज्य ने सिनेमा थिएटर के मालिक द्वारा इस्तेमाल किए गए ऐसे विकल्प के बदले कर की गणना के लिए नियम बनाये हैं। ऐसे विकल्प के प्रयोग की योजना यह है कि, (i) एक मालिक निर्धारित प्राधिकारी के समक्ष निर्धारित प्रपत्र में एक आवेदन दाखिल करेगा (ii) प्राधिकारी थिएटर के मालिक को कर के उचित भुगतान के लिए मालिक द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा की राशि और प्रकृति और उस समय के सही निर्धारण के लिए सुनवाई का अवसर देकर एक आदेश पारित करेगा जिसके भीतर ऐसी सुरक्षा होगी प्रस्तुत किया जाना है (iii) एक बार ऐसी सुरक्षा प्रस्तुत करने के बाद मनोरंजन कर अधिकारी को निर्धारित फार्म अर्थात

फार्म IV में परमिट देने की आवश्यकता होती है जिसके बाद सिनेमा थिएटर के मालिक को उसमें बताए गए तरीके से कर का भुगतान करना होता है।

(4) धारा 5 की उपधारा (6) हालांकि निर्धारित प्राधिकारी को देय कर की राशि में बदलाव करने का अधिकार देती है यदि उसमें निहित एक या अन्य शर्तें पूरी होती हैं।

(5) इस मामले में प्रतिवादी ने अधिनियम की धारा 5 के तहत एक विकल्प का उपयोग करते हुए निर्धारित फार्म में एक आवेदन दायर किया। विचाराधीन सिनेमा थिएटर सेरिलिंगमपल्ली नगर पालिका के भीतर स्थित है। अब यह विवाद में नहीं है कि दिनांक 18-05-2001 की अधिसूचना के अनुसार नगर पालिका को ग्रेड III से ग्रेड II में अपग्रेड किया गया था।

(6) प्रतिवादी को 25-05-2001 को फार्म IV जारी किया गया था। हालांकि आवेदन दाखिल करने की सही तारीख रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है लेकिन प्रतिवादी ने 18-05-2001 से पहले उक्त आवेदन दाखिल किया होगा।

(7) यह सम्भव है कि प्रतिवादी द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प के संदर्भ में कर कार्यवाही के मूल्यांकन के दौरान मनोरंजन कर अधिकारी को उक्त अधिसूचना दिनांक 18-05-2001 के संदर्भ में नगरपालिका के उन्नयन के तथ्य की जानकारी नहीं थी। महालेखाकार कार्यालय द्वारा ही

गलती बताई गई थी इसलिए अधिनियम की धारा 5(6) के संदर्भ में प्रतिवादी को 24-06-2005 को या उसके आसपास कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

(8) जो प्रश्न अपीलकर्ता के समक्ष और परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए उठा वह यह था कि क्या अधिनियम की धारा (5) की उप-धारा (6) के साथ धारा 27 के उपनियम 13 के साथ पढा जाए शब्द “विकल्प की अवधि के दौरान“ देय कर की राशि या केवल देय कर की राशि को बदलने के लिए निर्धारित प्राधिकारी की शक्ति को संदर्भित करता है।

(9) प्रतिवादी ने अपनी दलील के समर्थन में कहा कि कर की मात्रा में भिन्नता का आदेश केवल उस अवधि की के दौरान पारित किया जा सकता है जिसके लिए इस तरह के कर का भुगतान किया जाना है कहा गया है कि उक्त शब्द कर निर्धारण प्राधिकारी की शक्ति को भिन्न करने के लिए प्रतिबंधित करते हैं। देय कर की राशि जिसका अर्थ यह होगा कि उक्त अवधि की समाप्ति पर कर की राशि को अलग करने की शक्ति भी समाप्त हो जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरह के निर्माण को स्वामी थिएटर सनतनगर बनाम उप वाणिज्यिक कर अधिकारी सनतनगर हैदराबाद (1992) खण्ड 15 ए-पी-सैल्स टैक्स जर्नल 63 मामले में आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा समर्थन मिला था।

(10) पक्षकारों के विद्वान वकील को सुनने के बाद हमारी राय है कि हमारे लिए उपरोक्त प्रश्न पर जाना आवश्यक नहीं है। यहां प्राप्त तथ्यात्मक स्थिति में हम इस बात से संतुष्ट हैं कि मूल्यांकन प्राधिकारी का ध्यान 18-05-2001 की अधिसूचना पर नहीं गया होगा जिसके संदर्भ में नगर पालिका को ग्रेड III से ग्रेड II में अपग्रेड किया गया था इसमें टैक्स गणना के मामले में एक गलती हुई थी। यदि उक्त मामले में न केवल मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा कोई वास्तविक गलती की गई है और इसके अलावा प्रतिवादी ने भी उक्त प्राधिकारी के ध्यान में इसे नहीं लाया है तो हमारी राय में यदि उक्त गलती हुई तो न्याय का हित सुरक्षित रहेगा। सुधारने की अनुमति दी जाए।

(11) यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य बनाम बिकास कुंअर (2006)
10 स्केल 86 में न्यायालय ने कहा

“अब यह सामान्य हो गया है कि यदि प्रशासनिक आदेश पारित करते समय कोई गलती हो जाती है तो उसे सुधारा जा सकता है। हालांकि किसी स्थिति में गलती को सुधारने के लिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन की आवश्यकता हो सकती है। यह केवल एक मामले में है जहां रिकॉर्ड में गलती स्पष्ट दिखाई देती है वहां पीड़ित पक्ष को कोई सुनवाई दिए बिना सुधार की अनुमति है।”

(12) श्री शेखर घोष बनाम भारत संघ और अन्य (2006 11 स्केल

363) में यह अभिनिर्धारित किया जाता है:

“इस बात से इंकार या विवाद नहीं किया जा सकता है कि जब किसी गलती को सुधारने की कोशिश की जाती है तब भी यदि किसी कर्मचारी को इसके कारण नागरिक परिणाम भुगतना पड़ता है तो आमतौर पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन करना आवश्यक होता है।

इसे आगे अवधारित किया गया है:

“यदि किसी गलती को सुधारना है तो इसे यथासंभव शीघ्रता से किया जाना चाहिए। (देखें: माध्यमिक शिक्षा बोर्ड असम बनाम मोहम्मद सरजुम्मा (2003) 12 एससीसी 408। हम राम चंद्र त्रिपाठी बनाम यूपी लोक सेवा न्यायाधिकरण IV और अन्य (1994) 5 एससीसी 180 से अनभिज्ञ नहीं हैं गलती से पारित आदेश को सुधारने की अनुमति दी गई क्योंकि ऐसा निषेधाज्ञा के आदेश का उल्लंघन करके किया गया था। केवल ऐसी स्थिति में इस न्यायालय ने माना कि ऐसी गलती को सुधारने के लिए सुनवाई का अवसर उत्पन्न नहीं होगा क्योंकि मामले में अभ्यावेदन के आधार पर एक या दूसरे दृष्टिकोण को अपनाने का कोई अवसर नहीं होगा। प्रभावित कर्मचारी यह ऐसा मामला

भी नहीं है जहां रिकॉर्ड देखने पर कोई गलती स्पष्ट हो और इस प्रकार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन में कोई फर्क नहीं पड़ता जैसा कि श्रीमती रत्ना सेन नी रॉय बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य (1995) 1 कलकत्ता एलटी 462 के मामले में था। इसलिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन की आवश्यकताएं हर मामले में अलग-अलग होंगी यदि किसी प्रभावित कर्मचारी को सुनवाई का अवसर देने पर किसी भिन्न निष्कर्ष पर पहुंचना संभव है तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। हम देख सकते हैं कि हाल ही में भारत संघ और अन्य बनाम विकास कुंभर (2006) 10 स्केल 86 इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने राय दी ---- उसे सुधारा जा सकता है हालाँकि किसी स्थिति में किसी गलती को सुधारने के लिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन की आवश्यकता हो सकती है। यह केवल उस मामले में है जहाँ रिकॉर्ड के सामने गलती स्पष्ट है उसमें पीड़ित पक्ष को कोई सुनवाई दिए बिना सुधार की अनुमति है।“

(13) हालाँकि हम देख सकते हैं कि प्रतिवादी के अनुसार कर की मात्रा में अंतर इस प्रकार था:

(1) 18-5-2001 से 25-5-2001 तक रु- 16 724/-

(2) 26-5-2001 से 14-6-2001 तक रु- 27 624/- (प्रवेश दरों में वृद्धि के कारण जीसीसी में वृद्धि)

(3) 15-6-2001 से 31-3-2001 तक रु- 16 724/- (जीसीसी को 16 724/- रुपये पर बहाल किया गया क्योंकि लाइसेंसिंग प्राधिकारी ने वृद्धि की अनुमति देने से इनकार कर दिया था)

अपीलकर्ता के अनुसार उक्त अंतर होगा:

1- जीसीसी रु- 18,562-00 18-5-2001 से 25-5-2001 ई कर रु- 89,840-00

2- जीसीसी रु- 27,624-00 26-5-2001 से 14-6-2001 ई कर रु- 1,33,700-00

3- जीसीसी रु- 18,562-00 15-6-2001 से 2-9-2001 ई कर रु- 89,840-00

4- जीसीसी रु- 19,549-00 3-9-2001 से 31-3-2002 ई कर रु- 94,617-00

(14) इसलिए हमारी राय है कि अंतर की मात्रा के संबंध में प्रश्न प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर देने के बाद एक उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। हालांकि हम यह स्पष्ट करते हैं कि प्रतिवादी न तो उक्त राशि पर कोई व्याज देने के लिए उत्तरदायी होगा और न ही

किसी दंड के लिए उत्तरदायी होगा। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि कर की राशि में अंतर की गणना केवल नगर पालिका के उन्नयन के मामले तक ही सीमित रहेगी किसी अन्य तक नहीं।

(15) उपरोक्त सीमा तक अपील की अनुमति है। कोई लागत नहीं तदनुसार ऑर्डर करें। अपील आंशिक रूप से स्वीकार।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सत्य प्रकाश वैरागी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।